

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।


**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत PMU गठन
हेतु आवश्यक सूचना :-**

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-1016(अनु०)/ग्रा०वि०, दिनांक-01.03.2017 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत PMU गठन हेतु राज्य स्तर पर Online आवेदन आमंत्रित किए गए। प्राप्त Online आवेदनों के आधार पर प्रारंभिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला आधिकारिक वेबसाइट www.sahibganj.nic.in पर कर दिया गया है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश सं०-5939, दिनांक-14.07.2016 के द्वारा स्थानीयता नीति संबंधी दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर साहेबगंज अधिसूचित जिला है, अतः वैसे अभ्यर्थी (सामान्य/आरक्षित वर्ग)

(1) जिन्होंने Online आवेदन भरने के क्रम में अद्यतन स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया हो एवं आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी ने यदि जाति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया हो।

(2) जिन्होंने Marksheet के स्थान पर Certificate Upload कर दिया हो एवं अन्य सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है उर्पयुक्त प्रकाशित प्रारम्भिक मेधा सूची पर किसी प्रकार का आपत्ति हो तो लिखित रूप से अपना आपत्ति सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों (अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानिय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं अंकपत्र) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति सहित आपत्ति दर्ज करने की निर्धारित तिथि दिनांक- 19.07.2017 को 04:00 बजे अपराहन तक कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज में दर्ज कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।


10/7/17
उपायुक्त,
साहेबगंज।